उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–1326–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–29–प्र0सु0/2002 दिनाँक : 30 .06.2023

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0,
डी0एल0डब्लू0, मडुवाडीह,
वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉंचल वि0वि0नि0लि0,
4–ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणाँचल वि0वि0नि0लि0,
बी–15 निर्भय नगर, गैलाना रोड,
आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमाँचल वि0वि0नि0लि0,
विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।
5. प्रबन्ध निदेशक,
केस्को–14/71, केसा हाउस,
सिविल लाइन्स,
कानपुर।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वाणिज्य)/(वित्त)/(वितरण)/(आई0टी0)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07.06.2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1049/चौबीस–पी–3–2023 दिनांक 09 जून, 2023 (प्रति संलग्न) जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07 जून, 2023 को आहूत समीक्षा बैठक में विभिन्न कार्यो के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–1049/चौबीस–पी–3–2023 दिनांक 09 जून, 2023 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07 जून, 2023 को आहूत समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1196–(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 शासन से प्राप्त उक्त पत्र की छाया प्रति सहित दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट https://www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

ई–मेल द्वारा प्राप्त

संख्या–1049 / चौबीस–पी–3–2023

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को।
6. निदेशक, नेडा, उत्तर प्रदेश।
7. कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।

ऊर्जा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2023

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07–06–2023 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 07.06.2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. सभी वित्तीय स्वीकृतियां समय से निर्गत कर दी जायें। प्रयास यह हो कि जून, 2023 तक अधिक से अधिक स्वीकृतियां जारी हो जायें।
2. वित्तीय वर्ष के शुरूआती 03 महीने में बजटीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए कार्य योजना अन्तिम कर ली जाये और तद्नुसार इसका अनुश्रवण करते हुए स्वीकृतियां जारी करानी सुनिश्चित कराया जाये।
3. भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं में जो भी धनराशि प्राप्त होनी है उसके लिए भी अभी से कार्य योजना बना ली जाये और तद्नुसार भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।
4. एक ही कार्य के लिए बार–बार निविदाएं आमन्त्रित करने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। निविदा शर्तों में यदि कोई ऐसी शर्त है जो अव्यवहारिक है तो इस शर्त को सही तरीके से संशोधित करने पर विचार किया जाये।
5. शासन के सभी विभागों में शतप्रतिशत पत्रावलियां ई–आफिस पर व्यवहृत होनी चाहिए। कोई भी पत्रावली भौतिक रूप से संचरित नहीं की जाये।
6. जन सुनवाई पर सभी अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें।
7. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाये। प्रकरणों का गुणतापरक निस्तारण होना चाहिए। निस्तारण के उपरान्त निगेटिव फीडबैक नहीं आने चाहिए।
8. सी0एम0 हेल्पलाइन में भी जो प्रकरण सन्दर्भित हो रहे हैं, उनकी भी समीक्षा की जाये।
9. जन सुनवाई के लिए मिशनमोड पर कार्यवाही की जानी चाहिए।
10. जन सुनवाई के बारे में शासन तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय के साथ–साथ क्षेत्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील कर दिया जाये ताकि वह मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार प्रकरणों का निस्तारण करें।
11. विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव द्वारा आगामी 02 माह में सभी मण्डलों का दौरा कर लिया जाये। दौरे के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ मण्डल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाये और स्थल भ्रमण भी किया जाये। हफ्ते में कम से कम 02 दिन का यह दौरा होना चाहिए। दौरे से लौटने के बाद रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दी जाये। ऐसी ही अपेक्षा विभागध्यक्षों से भी की जाती है।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

All MDs
Div(Fin)
Div(DisH)
Div(PM&A)
Div(Comm)
Div(I.T.)
Div(C.P.)

13/06/23

12. आउटसोर्स कर्मियों को पूरा मानदेय नहीं मिल पाता। उनका शोषण होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। सुनिश्चित किया जाये कि आउटसोर्स्ड कर्मियों को विभाग द्वारा जो भी देय हैं या सेवाप्रदाता द्वारा जो भी देय हैं, वह पूर्णरूपेण निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हो जायें।
13. क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर का समय से रिप्लेसमेण्ट नहीं होने की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर अनिवार्य रूप से बदल दिये जायें।
14. सभी उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने बिजली का बिल जारी किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि बिजली का बिल सही/त्रुटिरहित जारी हो रहा है। त्रुटिपूर्ण बिजली का बिल जारी करके उपभोक्ताओं का शोषण न होने पाये। यह सुनिश्चित किया जाये।
15. शासन द्वारा इस वर्ष के लिए स्थानान्तरण नीति अनुमोदित कर दी गयी है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार सभी स्थानान्तरण समय से सुनिश्चित करा लिये जायें।
16. स्थानान्तरण करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्यायें जैसे– पति–पत्नी का एक स्थान पर रहना या निकट रहना, किसी के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें, किसी की कोई पारिवारिक समस्या, यदि कोई दिव्यांगजन कर्मी है तो उसके इलाज की समस्या आदि को संज्ञान में रखते हुए स्थानान्तरण किया जाये।
17. आकांक्षात्मक जनपदों तथा विकास खण्डों पर जनशक्ति की कमी न होने पाये। यह सुनिश्चित किया जाये।

कृपया तद्नुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।</u>

प्रतिलिपि ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव (श्री अनुपम शुक्ला/श्री राहुल सिंह), उ0प्र0 शासन।
8. संयुक्त सचिव (श्री सर्वेश कुमार सिंह/श्री संजय शुक्ला), उ0प्र0 शासन।
9. अनु सचिव (श्री प्रभंजन यादव/श्री सुनील कुमार चौहान), उ0प्र0 शासन।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव